छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक एफ 6-30/2009/20-तीन
रायपुर, दिनांक ....

प्रेषक,

श्री एम.एन. राजुरकर,
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,

प्रेषिति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली,

विषय :- विद्याकुंज स्कूल आठवानी गली स्कूल धमतरी का स्थान परिवर्तन कर विद्याकुंज स्कूल लोहरसी जिला धमतरी किये जाने बाबत् ।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.07.2009.

-------0-------

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञाप द्वारा विद्याकुंज स्कूल आठवानी गली स्कूल धमतरी को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसके अनुकम में लेख है कि उक्त स्कूल का पता परिवर्तित होकर विद्याकुंज स्कूल लोहरसी जिला धमतरी हो गया है । अतः उक्तानुसार पता परिवर्तन करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एम.एन.राजुरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक एफ 6-30/2011/20-तीन
रायपुर, दिनांक 03/11/11

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी ।
4. प्राचार्य, विद्याकुंज स्कूल लोहरसी जिला धमतरी
5. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

3/11/11

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

joshi

PRINCIPAL
VIDHYA KUNJ SCHOOL
LOHARSI (C.G.)
Affiliated to C.B.S.E
No. 3330152

SECRETARY
Vidhya Kunj Society
DHAMTARI (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर
===0===

क्रमांक एफ 6–30 / 2009 / 20–एक रायपुर, दिनांक..............

प्रेषक,

श्रीमती बिबियाना तिर्की,
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,

प्रेषिति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र–2, कम्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली

विषय :– विद्या कुंज स्कूल अठवानी गली स्कूल धमतरी जिला धमतरी सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

———0———

महोदय,

राज्य शासन एतद् द्वारा विद्या कुंज स्कूल अठवानी गली स्कूल धमतरी जिला धमतरी को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु सहमति / अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त संस्था के कार्यकारिणी समिति के निर्णायक मण्डल में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि मनोनीत किये जायेंगे।

भवदीया,

(बिबियाना तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 6–30 / 2009 / 20–एक रायपुर, दिनांक 8/7/09

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर.
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर, आपके पत्र क्रमांक / विद्या / सी.बी.एस.ई. / पाठ्यक्रम / अनु. / 08 / 390, दिनांक 27–6–09 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–धमतरी
4. प्राचार्य, विद्या कुंज स्कूल अठवानी गली स्कूल धमतरी जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

PRINCIPAL
VIDHYA KUNJ SCHOOL

VIDHYA KUNJ SOCIETY